

## राजस्थान राजपत्र विशेषांक

## RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

## साधिकार प्रकाशित

**Published by Authority** 

ज्येष्ठ 31, शुक्रवार, शाके 1946-जून 21, 2024 Jyaistha 31, Friday, Saka 1946- June 21, 2024

भाग-1(ख)

## महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर आदेश जयपुर, जून 12, 2024

संख्या एफ-7 (76) रालसा/संस्था-पी.एल.ए.गठन/2021/371:- राजस्थान सरकार, विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के आदेश संख्या पं.8(7) विधि-2/विरसं.(39)/2002पार्ट॥/98 दिनांक 11.06.2024 द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22(बी) के अंतर्गत जिला मुख्यालय भरतपुर, बालोतरा, जयपुर महानगर-प्रथम, कोटा, सीकर एवं पाली पर संस्थापित जनोपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत में अध्यक्ष पद पर कार्यरत निम्नलिखित अध्यक्ष गणों के मनोनयन की अवधि इस संबंध में प्रभावी नियमों के अध्यधीन उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 08 में अंकित तिथि तक बढ़ाई जाती है:-

क्र.सं.	स्थायी	स्थायी	जन्म तिथि	नियुक्ति	कार्य ग्रहण	कार्यकाल	विस्तारित
	लोक	लोक		आदेश	दिनांक	पूर्ण होने की	कार्यकाल की
	अदालत	अदालत		संख्या/दिनांक		दिनांक	अवधि
		में					
		नियुक्त					
		अध्यक्ष					
		का नाम					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भरतपुर	श्री	25.08.1961	201/12.04.2022	13.04.2022	11.04.2024	12.04.2025
		गंभीर					
		सिंह					
2.	बालोतरा	श्री	10.02.1960	201/12.04.2022	20.04.2022	18.04.2024	09.02.2025
		कैलाश					दिनांक
							09.02.2025
		चन्द्र					को 65 वर्ष पूर्ण)
		मिश्रा					
3.	जयपुर	श्री	15.07.1959	201/12.04.2022	13.04.2022	11.04.2024	14.07.2024
	महानगर	हरविंदर					(दिनांक
		सिंह					14.07.2024
	प्रथम	।सह					को 65 वर्ष पूर्ण)

4.	कोटा	श्री	01.07.1960	201/12.04.2022	19.04.2022	17.04.2024	18.04.2025
		नरेन्द्र					
		कुमार					
		शर्मा					
5.	सीकर	श्री	10.08.1961	201/12.04.2022	26.04.2022	24.04.2024	25.04.2025
		गिरीश					
		कुमार					
		शर्मा					
6.	पाली	श्री प्रेम	10.09.1961	201/12.04.2022	13.04.2022	11.04.2024	12.04.2025
		प्रकाश					
		गुप्ता					

उपरोक्त अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालतों को फीस व अन्य सुविधायें The Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and other persons) Rules, 2003 तथा इस पद के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश/स्वीकृतियों के अन्रूप देय होंगी।

आज्ञा से,

हरि ओम शर्मा अत्री सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।